3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री प्रदीप कुमार शर्मा एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक श्री ललित शर्मा की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी अपीलान्ट सहाबुददीन ने जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज के प्रस्तुत किया । जिस पर अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं शस्त्र आवश्यकता का ठोस आधार के दस्तावेज पेश करने हेतु निर्देशित करने पर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा उक्त सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये । इसके पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा पुलिस अधीक्षक, चूरु/पुलिस अधीक्षक राजसमन्द, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरु, अति. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी, वि.शा. जोन, बीकानेर, उपवन संरक्षक, वन विभाग, चूरु से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट कहीं पर भी दोषी होने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरु एवम् जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमशः दिनांक 18–12–15 एवं 21–3–2016 में अपीलान्ट की आम शौहरत एवं चाल–चलन अच्छा बताया तथा आवेदक को जान का खतरा होने से आत्म रक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है । परन्तु कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा दिनांक 28.11.2016 को इस टिप्पणी के साथ कि ''चूँकि आर्म्स अधिनियम 2016 प्रभाव में आ चुका है तथा सरकार द्वारा सभी लम्बित प्रकरणों में नये नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। अतः आपकी पत्रावली/प्रकरण बन्द कर दिया गया है ''।

5. यह कि प्रार्थी को शस्त्र लाइसेंस की सद्भाविक आवश्यकता है, जिसका विवरण कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी जिला राजसमन्द में मार्बल का व्यवसाय करता है एवं भारी रकम के साथ सुजानगढ आना जाना पड़ता है । राजसमन्द बदमाश व्यक्तियों का क्षेत्र है, जहां पर लूट–पाट की घटनाऐं घटित होती रहती है। पूर्व में भी प्रार्थी अपीलान्ट के काका ससूर की इसी व्यापार के सिलसिले में राजसमन्द से सुजानगढ आते समय बदमाश व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी । प्रार्थी अपीलान्ट को उक्त क्षेत्र में बदमाशों से स्वयं के जीवन को खतरा होने के कारण आत्म रक्षा हेतु नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थी का नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के आवेदन की पत्रावली/प्रकरण को बन्द किया गया है, जो सामाजिक न्याय एवं प्राकृतिक सिध्दान्तों के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 28.11.16 पारित किया गया है ।

संभाग आयुक्त
बीकानेर

6. यह कि प्रार्थी अपीलान्ट व्यावसायिक व्यक्ति है, कम पढा लिखा है, कानूनी बारिकी एवं समयावधि का ज्ञान नहीं था तथा प्रार्थी अपीलान्ट अस्वस्थ भी है । प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपील में शामिल करने वाले कागजात प्रस्तुत करने में समय लग गया, जिस कारण निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है । अतः विलम्ब के के लिए प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को मियाद में शुमार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28–11–16 निरस्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

7. राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक श्री ललित शर्मा ने अपनी बहस में अभिकथन किया कि आवेदक सहाबुददीन द्वारा कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के पत्र दिनांक 28–11–16 के विरुध्द इस न्यायालय में शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गयी है । जिला कलक्टर, चूरु द्वारा सूचना पत्र में अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि शस्त्र नियम 2016 प्रभाव में आने के कारण अपीलार्थी का प्रकरण बन्द कर उन्हें नये नियमों के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही करवाने हेतु निर्देशित किया गया है । विद्वान सहायक लाक अभियोजक ने आगे बताया कि अपीलान्ट द्वारा कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के पत्र दिनांक 28–11–16 के विरुध्द इस न्यायालय में दिनांक 17–2–2017 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जो कि मियाद बाहर है । अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–11–16 की प्रमाणित प्रति दिनांक 3–1–2017 को प्राप्त की गयी है एवं इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17–2–17 को प्रस्तुत की गयी है । प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम में कोई विवरण नहीं दिया है। अपीलान्ट का अस्वस्थ होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः मियाद बिन्दु पर भी यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाई जावे ।

8. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की अवधि निर्धारित है। पस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट सहाबुददीन द्वारा कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2016 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17.2.2017 को प्रस्तुत की गई है, जिसमें निर्धारित 30 दिवस की अवधि कम करने के पश्चात 45 दिवस की देरी से प्रस्तुत हुई है । प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–11–16 की सूचना जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा कमांक 2015 दिनांक 28–11–16 द्वारा जरिये डाक अपीलान्ट को प्रेषित की गयी है । उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–11–16 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30–12–16 को आवेदन किया गया एवं दिनांक 3–1–2017 को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात 45 दिवस की अवधि के पश्चात दिनांक 17–2–17 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट द्वारा अपील के संलग्न धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रतिदिन विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है । इसके अलावा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थी अपीलान्ट के अस्वस्थ रहने का कारण दर्शाया है, जबकि अपील के साथ कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में देरी के जो कारण धारा–5 मियाद अधिनियम में दिये गये हैं, वह ठोस, विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक नहीं है, जिसके कारण अपील दायर करने में 45 दिवस की देरी को कन्डोन करने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं है।

9. यह अपील शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के पत्र दिनांक 28.11.2016 के विरुध्द इस न्यायालय में दिनांक 17–2–2017 को प्रस्तुत हुई है । जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र आर्म्स नियम 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दते हुए पत्रावली बन्द करने की सूचना प्रेषित की गयी । प्रकरण में कार्यालय जिला कलक्टर एवम जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा अपीलान्ट का नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया गया है बल्कि नये शस्त्र नियम 2016 प्रभावशील होने से तथा सरकार द्वारा लम्बित प्रकरणों में नये नियमों कें अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये जाने से प्रकरण बन्द किया जाकर नये नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु अपीलान्ट को निर्देशित किया गया है । हम कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा प्रेषित किये गये पत्र दिनांक 28.11.16 से सहमत हैं तथा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः मियाद बिन्दु एवं उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज की जाती है। अपीलान्ट नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट चूरु के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

10. तद् अनुसार अपील निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 20–6–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एच.एस.मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकाने

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री एच.एस.मीना,आई.ए.एस.

अपील संख्या : 4/2017 आर्म्स एक्ट

अनवानी :– सहाबुद्दीन गौरी पुत्र श्री अब्दुल रजाक निवासी वार्ड नं07 सुजानगढ जिला चूरु ।

——— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट ऑफ राजस्थान ।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री प्रदीप कुमार शर्मा — अभिभाषक अपीलांट
श्री ललित शर्मा — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 20–6–2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 28.11.2016, जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र आर्म्स नियम 2016 प्रभावशील होने से नये नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दते हुए पत्रावली बन्द करने की सूचना प्रेषित की गयी, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट श्री सहाबुद्दीन गौरी पुत्र श्री अब्दुल रजाक निवासी वार्ड नं0 7 सुजानगढ जिला चूरु द्वारा आत्म सुरक्षार्थ अपने नाम से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष दिनांक 29–2–2015 को निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र मय शपथ मत्र एवं दस्तावेज के प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा पुलिस अधीक्षक, चूरु/पुलिस अधीक्षक राजसमन्द, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरु, अति पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी,. वि.शा. जोन, बीकानेर, उपवन संरक्षक, वन विभाग, चूरु से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी । तत्पश्चात नये शस्त्र नियम् 2016 प्रभावशील होने तथा सभी लम्बित प्रकरणों में नये नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देशों के अन्तर्गत प्रार्थी अपीलान्ट का विचाराधीन प्रकरण बन्द किया जाकर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के पत्र दिनांक 28.11.2016 द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को सूचना प्रेषित की गयी, जिसके विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर